

संयुक्त श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 27.05.2025 को 04:00 बजे अपराह्न में अखिल भारतीय विद्युत कामगार महासंघ एवं अन्य यूनियन द्वारा बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि०, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना को समर्पित विवादों के आलोक में आयोजित वार्ता की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

प्रबंधन पक्ष

- | | |
|----------------------|---|
| 1. श्री विनोद प्रसाद | — उप महाप्रबंधक, (कार्मिक), NBPDCCL
Mob No-7004163572 |
| 2. श्री राकेश कुमार | — D.S., BSPHCL,
Mob No-7763817311, Email-karun673@gmail.com |
| 3. श्री विजय कुमार | — U.S., SBPDCL
Mob No-7763813962 |
| 4. श्री अर्जुन कुमार | — प्रधान लिपिक, SBPDCL
Mob No-9199189084, Email-arjunk18@gmail.com |

कामगार पक्ष

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. श्री सुधीर चौधरी | — अपर महामंत्री, बिहार स्टेट ई० सप्लाई वर्कर्स यूनियन,
Mob No-9910228194 |
| 2. श्री डी०पी० यादव | — सचिव, अखिल भारतीय विद्युत कामगार महासंघ,
विद्युत मजदूर भवन, दक्षिणी मंदीरी, पटना/
उप महामंत्री, बिहार स्टेट ई० सप्लाई वर्कर्स यूनियन,
विद्युत मजदूर भवन, दक्षिणी मंदीरी, पटना/
महामंत्री, बिहार स्टेट इलेक्ट्रीसीटी बोर्ड पेन्सनर्स फोरम,
विद्युत मजदूर भवन, दक्षिणी मंदीरी, पटना/
उप महासचिव, एटक, बिहार
Mob No-9934336044 |
| 3. श्री धर्म देव सिंह | — उप महामंत्री, बिहार स्टेट ई० सप्लाई वर्कर्स यूनियन,
दक्षिणी मंदीरी, पटना
Mob No-9905914521 |
| 4. श्री अरविन्द कुमार | — केन्द्रीय मंत्री-सह-अध्यक्ष, कम्पनी मु०, पटना, बि०स०ई०स०व०यु०
Email-shashinirala85@gmail.com, Mob No-8083552389 |
| 5. श्री अशोक कुमार मिश्रा | — मीडिया प्रभारी-सह- कार्यकारिणी सदस्य, पटना
M.No-7903266557, Email-mishraashok973@gmail.com |

सर्वप्रथम कामगार पक्ष द्वारा प्रबंधन पक्ष को समर्पित विवादों के आलोक में आयोजित वार्ता में उपस्थित सभी सदस्यों का संयुक्त श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा स्वागत किया गया। तत्पश्चात् संयुक्त श्रमायुक्त द्वारा वार्ता के एजेन्डा के अनुसार विवादवार वार्ता की गई।

i) तदेन विद्युत बोर्ड की अवधि से ही कार्यरत तकनीकी संवर्ग के अदक्ष श्रमिक एवं दक्ष श्रमिक को उच्चतर पद पर कार्यकारी प्रभार से वंचित रखना— इस संबंध में Board of Directors के Agenda में शामिल करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

ii) लिपिकीय संवर्ग से अवनत कामगारों के समायोजन में आपके कार्यालय की दुर्भावनाग्रस्त मानसिकता के कारण न्याय नहीं मिलना— प्रबंधन पक्ष अविलंब बैठक बुलाने हेतु संचिका बढ़ायेंगे एवं आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

iii) विद्युत आपूर्ति की सुव्यवस्था के रीढ़ मानवबल विद्युत कर्मों की उपेक्षा— यह बिन्दु अनुपालित हो चुका है।

iv) आपूर्ति के क्षेत्रों में स्थापित शक्ति उपकेन्द्रों में बटन-पट-चालकों से अकेला कार्य लेने की गलत प्रथा एवं वहां फ्युज कॉल सेन्टर की व्यवस्था से दुर्घटना में इजाफा— इसके संबंध में होल्डिंग यार्डस्टीक कमिटी से प्रतिवेदन यथाशीघ्र प्राप्त किये जाने हेतु स्मारित करेंगे।

v) विद्युत मजदूरों/ पेन्सनरों/ मानवबलों/आउटसोर्सिंग मजदूरों/महिला कामगारों की दर्जनो कानून सम्मत समस्याएं— यह बिन्दु अनुपालित हो चुका है।

vi) विद्युत कर्मियों को बोनस/रात्रि पाली भत्ता एवं अन्य बकाये भुगतान — इसके संबंध में कामगार पक्ष द्वारा श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत देय लाभो को नहीं देने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसियों की सूची एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत मानवबलों की सूची प्रबंधन पक्ष को उपलब्ध करायेंगे एवं प्रबंधन पक्ष उसमें कारणपृच्छा करते हुए नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करेंगे।

vii) ग्रीड सबस्टेशनों/ विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों में आवास की अनुपलब्धता एवं आवासीय परिसर के दशा में सुधार — इसके संबंध में प्रबंधन पक्ष द्वारा बताया गया कि BSPTCL (Bihar State Power Transmission Company Limited) से प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। प्रतिवेदन के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।



viii) सेवानिवृत्त कामगारों को मुफ्त बिजली उपभोग की सुविधा — प्रबंधन पक्ष द्वारा बताया गया कि इस संबंध में संचिका बढ़ायी गयी है एवं उच्चस्तरीय निर्णय प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई करेंगे।

ix) सेवानिवृत्त कामगारों को चिकित्सा सुविधा — इस संबंध में प्रबंधन पक्ष द्वारा बताया गया कि Cashless सुविधा withdraw कर ली गई है। प्रतिमाह ₹ 1000/- रुपये चिकित्सा भत्ता दिया जाता है।

x) स्थायी प्रकृति के कार्य में कार्यरत अस्थायी कर्मियों का स्थायीकरण,

xi) 01.04.2004 के बाद नियुक्त कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन नीति लागू करना,

xii) सेवानिवृत्त कर्मियों के एक आश्रित की नियुक्ति,

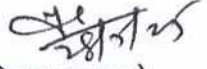
xiii) पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए ए०सी०पी० लागू करने की तिथि समान करना—

xiv) अनुकम्पा की नियुक्ति (सेवा शर्त) को बिजली बोर्ड में लागू सेवा शर्त की तरह करना—

कंडिका— x से xiv के संबंध में प्रबंधन पक्ष द्वारा बताया गया कि इस संबंध में संचिका बढ़ायी गयी है एवं उच्चस्तरीय निर्णय प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई करेंगे।

वार्ता के दौरान यह सहमति बनी कि प्रबंधन पक्ष पहल करके कंडिका संख्या—i, ii एवं iv का समाधान निकालेंगे। तदनुरूप वार्ता समाप्त की गई एवं दिनांक—08.07.2025 को अपराह्न 03:00 बजे पुनः वार्ता करने पर सहमति दी गई। उभय पक्ष उपरोक्त बिन्दुओं पर की गई कार्रवाई के साथ विवादवार अपना-अपना पक्ष लेकर वार्ता में भाग लेंगे।

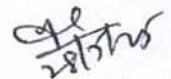
सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।


(विजय कुमार)

संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक—3/डी—13/2025 श्र०सं०— 2831 पटना, दिनांक— 28/05/2025

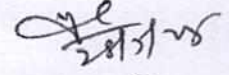
प्रतिलिपि— अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-3/डी-13/2025 श्र०सं०- 2831 पटना, दिनांक- 28/05/2025

प्रतिलिपि- प्रबंधन पक्ष/कामगार पक्ष के सभी प्रतिनिधि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-3/डी-13/2025 श्र०सं०- 2831

पटना, दिनांक- 28/05/2025

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार।